

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं. 86/11

तारीख 27.3.2011

उनवान - आम जनता गुमनाम कां. व/स हजलाल स/0  
जर्पे चिरेजी स/0 हरेत कां. मूल्या कां.

दावा - बाबत इन्हाज डुरुस्ती घोषणा खातेदारी एवं  
हथ्याची निवेदाज्ञा

वादीगण की ओरसे श्री मनेज कुमार शर्मा एडवोकेटने  
दावा बाबत इन्हाज डुरुस्ती घोषणा खातेदारी एवं घोषणा-  
खातेदारी प्रस्तुत किया। अवलोकन किया गया। दावा  
दर्ज रजिस्टर करे। प्रतिवादीगण तलब कर दिनांक  
14.11.11 को पेश हो।

3334-46  
3-10-11

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (कौली)


14/11

बार की ओरसे कार्य स्थगित रखा गया है। प्रतिवादी  
नं. 1 लगा. 11 के समान वाद लम्बीत प्राप्त। प्रतिवादी नं. 12  
की लम्बीत प्राप्त नहीं। प्रति. नं. 13 की लम्बीत विधिक  
नहीं हुई है। 10. साठ मीटिंग में बाहर पधारे हैं  
वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 26.12.11 को पेश हो।

26/12

11 वादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1 नं. 9, एवं 10  
की ओरसे श्री रामचरणी गुला एडवोकेटने बकालतना  
पेश किए। प्रतिवादी नं. 11 बाबत दरखास्त उपस्थित नहीं  
इन्के निजह एकता (10) कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं  
12, 13 की लम्बीत देव तलवाना पेश हो। पत्रपत्नी बसेत  
गयाक प्रति. नं. 10 एवं तलबी प्रतिवादी नं. 12, 13  
एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश। नियम 8 स्वीकार किया  
जाता है। तथा प्रार्थना पत्र धारा 80(2) जासा दीवानी  
के अन्तर्गत बाबत वाद पेश करने स्वीकार करवादी

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

दिनांक	फर्द अहकाम
12.6.18	<p>वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रतिवादी वकील उपस्थित।  कईबार आवाज दिलवाई फिर भी वादी वकील एवं  वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है, शतः यह दावा  अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खादिज सिद्ध जाता है।  पत्रावली फेंसल नुमाए टोकर नम्बर से कम होकर दाखिल  दफतर हो</p> <p style="text-align: center;">   जिला कलेक्टर  टोडाभीम (करोली) </p>